The Times of India- 08- July-2023

FRBM curbs hinder loans for Kaleshwaram project

'Irrigation Dept Needs ₹30k Cr Over Next 2 Yrs'

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: Owing to Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) restrictions, Telangana government has not been able to utilise the loan amounts sanctioned by the Rural Electrification Corporation (REC) and the Power Finance Corporation (PWC) at a crucial time when some Kaleshwaram works are still to be completed.

The irrigation department still needs about Rs 30,000 crore to complete the pending works in next two years, officials said.

Sources said Rs 12,000 crore loan is lying with REC and another Rs 3,000 crore with PWC. While maximum loan amount sanctioned by PWC has been utilised by the government, about 70% of REC loan was withdrawn by the irrigation department.

"The government was helpless due to the restrictions imposed by the Centre like revising the loan agreement involving the Reserve Bank of India. The state government is managing with its own funds," a senior irrigation official told **TOI**.

Officials said because of limited resources, the works are going at a slow pace. Going by the current pace of works, Kaleshwaram project is expected to be completed in all aspects and packages in 2025.

Sources in the irrigation department said apart from distributary canal works, Kaleshwaram package works — Mallanna Sagar to Singur and lift irrigation works of Sangameshwara, Basaveshwara lift irrigation project, works in Nizamabad and Kamareddy districts (package 20, 21 and 22) and some works in Nirmal and Mudhole — are yet to be completed.

The government took about Rs 70,000 crore loans from REC, PWC, banks and financial institutions for both Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS) and Palamuru-Rangareddy Lift Irrigation Scheme (PRLIS).

"The loans were taken through the special purpose vehicle Kaleshwaram Lift Irrigation Corporation (KLIC). The major component was for Kaleshwaram and just Rs 10,000 crore for PRLIS," a senior official said. The revised project cost is Rs 1.21 lakh crore. The government so far spent Rs 91,000 crore.

Chief minister K Chandrasekhar Rao is believed to have assured the officials that the government would provide funds for both the major irrigation projects.

Currently, the government is focusing on PRLIS as Kaleshwaram project main works have been completed. The CM has directed the irrigation officials to completed PRLIS main works by December this year.

The Times of India- 08- July-2023

WATER LEVEL UP IN CAUVERY BASIN

Mysuru: Even as the Cauvery crisis looms large with Tamil Nadu demanding water from Karnataka, there is good news. The water levels in the four reservoirs in Cauvery basin, mainly Kabini dam, are improving, thanks to copious rain in the catchment areas.

Farmers and people in the region are keeping their fingers crossed that Kabini won't disappoint them like earlier, said TR Vidyasagar, president of Karnataka Rajya Raitha Sangha.

On account of weak monsoon, the water level at Kabini continues to be low. The good news is that it has been raining in the catchment areas of Wayanad in Kerala. The reservoir will be full even if it rains for 3-4 consecutive days , Vidyasagar said.

At the same time, inflow into KRS in Srirangapatna has increased. People living in

Inflow into Kabini dam was 16,218 cusecs on Friday at 6am

Cauvery catchment area are also witnessing rainfall, which has come as good news for Mysuru, Mandya and Bengaluru. Apart from being dependent on the Cauvery for irrigation, people also rely on it for drinking water.

With the delay in monsoon, water level at the reservoir had touched a low of 77.6ft on June 25 compared to 106.6ft recorded on the same day last year. Now, with the catchment areas receiving rain, the level has risen to 79.5ft. TNN

Business Standard- 08- July-2023

Hague court rejects India's objections over water treaty

The Permanent Court of Arbitration (PCA) in Hague rejected on Thursday India's objections to a Pakistan-initiated procedure over water use in the Indus River basin, reopening a procedure that had been blocked for many years. India called the arbitration proceeding illegal as a neutral expert was also looking at the issue and the World Bank-brokered treaty prohibits parallel proceedings. PTI

Amar Ujala- 08- July-2023

21 जलविद्युत परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्रालय का अड़ंगा

पीएमओ एक्सपर्ट बॉडी-2 की रिपोर्ट व मंत्रालयों के जवाब पर लेगा निर्णय

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश में 2123.6 मेगावाट क्षमता की 21 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के उत्तराखंड के अनुरोध पर जल शक्ति मंत्रालय ने अडंगा लगा दिया है। अब पीएमओ सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट बॉडी-2 की रिपोर्ट व मंत्रालयों के जवाब के आधार पर इस मामले में निर्णय लेगा।

प्रदेश में करीब 40 नई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर लंबे समय से रोक लगी हुई है। इन परियोजनाओं को शुरू करने की कवायद लगातार चल रही है। इनमें से 11 जल विद्युत परियोजनाएं तो ऐसी हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है। 10 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट बॉडी-2 ने हरी झंडी दिखाई थी। कुल मिलाकर 21 परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति के लिए शुक्रवार को पीएमओ में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई।

बैठक में ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने प्रदेश में बिजली जरूरतों के मद्देनजर 2123.6 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश में बिजली किल्लत दूर होने के साथ ही राजस्व बढ़ोतरी भी होगी।

जानकारी के मुताबिक, ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड के प्रस्ताव को समर्थन दिया लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने नदियों के प्रवाह संबंधी कई मसलों को लेकर इसमें अड़ंगा लगा दिया। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम से बताया कि फिलहाल पीएमओ ने सभी पक्षों को ले लिया है। इसी हिसाब से अब पीएमओ इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के सकारात्मक संकेत दिए।

ये हैं प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं

बावला नंदप्रयाग (अलकनंदा नदी पर 300 मेगावाट), भिलंगना 2ए- (भिलंगना पर 24 मेगावाट), देवसारी (पिंडर पर 252 मेगावाट), नंदप्रयाग लगासू (अलकनंदा पर 100 मेगावाट), भिलंगना 2बी (भिलंगना पर 24 मेगावाट), मेलखेत (पिंडर पर 24.3 मेगावाट), देवाली (नंदाकिनी पर 13 मेगावाट), कैलगंगा (कैलगंगा पर 5 मेगावाट), कोट बूढ़ा केदार (बाल गंगा पर 6 मेगावाट), भिलंगना 2सी (भिलंगना पर 21 मेगावाट), सुवारी गाड (सुवारी गाड पर 2 मेगावाट)।

Hindustan- 08- July-2023

केंद्र की ओर से ड्रॉप 23 प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है कोई आपत्ति

केंद्र से 21 पावर प्रोजेक्ट पर काम की मंजूरी मांगी

पैरवी

- पीएम के प्रधान सचिव के सामने मुख्य सचिव ने रखा राज्य का पक्ष
- अविवादित-एक्सपर्ट कमेटी से मंजूरी वाले प्रोजेक्ट को अनुमति दी जाए

देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने को 21 पावर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की मंजूरी उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांगी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के समक्ष ऑनलाइन मुख्य सचिव एसएस संधु ने उत्तराखंड का पक्ष रखा।

सचिवालय से ऑनलाइन जुड़े मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में 11 ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनको लेकर कोई विवाद नहीं है। इन प्रोजेक्ट से 771.30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। इन प्रोजेक्ट को यूजेवीएनएल समेत निजी कंपनियों ने तैयार करना है। वहीं दूसरी ओर 10 ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनकी पड़ताल स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से कराने के बाद एक्सपर्ट कमेटी हरी झंडी दे चुकी है। इन प्रोजेक्ट से 1352.3 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इन प्रोजेक्ट को केंद्र, राज्य की एजेंसियों समेत प्राइवेट कंपनियां तैयार करेंगी। कहा कि बाकी 23 ऐसे प्रोजेक्ट रहे, जिन्हें केंद्र पहले ही ड्राप कर चुका है। उन्हें लेकर उत्तराखंड को भी कोई आपत्ति नहीं है। जो प्रोजेक्ट सही हैं, उन्हें मंजूरी न मिलने से राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने को बाजार की महंगी बिजली पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जिससे अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ रहा है। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। केंद्र स्तर से आश्वासन दिया गया कि जल्द सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी यूजेवीएनएल संदीप सिंघल मौजूद रहे।

इन प्रोजेक्ट पर नहीं कोई विवाद

बावला नंदप्रयाग 300 मेगावाट, भिलंगना सैकेंड ए 24 मेगावाट, देवसारी 252 मेगावाट, नंदप्रयाग लंगासू 100 मेगावाट, भिलंगना सैकेंड बी 24 मेगावाट, मेलखेत 24.3 मेगावाट, देवली 13 मेगावाट, काली गंगा पांच मेगावाट, कोट बूढ़ाकेदार छह मेगावाट, भिलंगना सैकेंड सी 21 मेगावाट, सुवारीगाड़ दो मेगावाट।

इन्हें मिली कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की क्लीयरेंस

लता तपोवन 171 मेगावाट, कोटलीभेल फर्स्ट ए 195 मेगावाट, तमकलता 190 मेगावाट, अलकनंदा 300 मेगावाट, कोटलीभेल फर्स्ट बी 320 मेगावाट, भ्यूंडर गैंग 24.3 मेगावाट, खिरोगंगा चार मेगावाट, झलकोटी 12.5 मेगावाट, उर्गम सैकेंड 7.5 मेगावाट, झेलम तमक 128 मेगावाट।